



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2011/वैशाख 28, 1933

No. 108]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2011/VAISAKHA 28, 1933

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 18 मई, 2011

फा. सं एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जीएन/2011-12/08/15971.— भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्टॉक एक्सचेंज भवन, पी-2, जयदेव विहार, पी.ओ. चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751023 में स्थित है द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन किये गये मान्यता के नवीकरण के लिए तारीख 11 अप्रैल, 2011 के आवेदन पर विचार करते हुए, और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को मान्यता का नवीकरण उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 5 जून, 2011 को प्रारंभ होने वाली और 4 जून, 2012 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिभूतियों में संविदाओं की बाबत इसमें नीचे कथित शर्तों अथवा जो इसके पश्चात् विहित या अधिरोधित की जायें के अध्याधीन प्रदान करता है :-

- एक्सचेंज भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा अधिरोधित समस्त विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् ही व्यापार प्रारम्भ करेगा।
- एक्सचेंज ऐसी अन्य शर्तों का अनुपालन करेगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियत की जायें।

डॉ. के. एम. एब्रहाम, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन III/4/69-जेड बी/11/असा.]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th May, 2011

F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/08/15971.— The Securities and Exchange Board of India having considered the application dated April 11, 2011 for renewal of recognition made under Section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 by Bhubaneswar Stock Exchange Limited having its registered office at Stock Exchange Bhavan, P-2 Jayadev Vihar, P. O. Chandrasekharpur, Bhubaneswar-751023 and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Securities Contracts

(Regulation) Act, 1956, renewal of recognition to the said Exchange under Section 4 of the said Act for a period of one year commencing on the 5th day of June 2011 and ending on the 4th day of June 2012 in respect of contracts in securities subject to the conditions stated herein below or as may be prescribed or imposed hereafter:—

- The Exchange shall commence trading only after complying with all the regulatory requirements imposed by Securities and Exchange Board of India.
- The Exchange shall comply with such other conditions as may be stipulated by SEBI from time to time.

Dr. K. M. ABRAHAM, Whole Time Member

[ADVT. III/4/69-ZB/11/Exty.]

### अधिसूचना

मुम्बई, 18 मई, 2011

फा. सं एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/07/15967.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, यू.पी. स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पदम टॉवर्स, 14/113, सिविल लाइन्स, कानपुर-208001 में स्थित है द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन किये गए मान्यता के नवीकरण के लिए तारीख 11 फरवरी, 2011 के आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को मान्यता का नवीकरण उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 3 जून, 2011 को प्रारंभ होने वाली और 2 जून, 2012 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिभूतियों में संविदाओं की बाबत इसमें नीचे कथित शर्तों अथवा जो इसके पश्चात् यथा विहित या अधिरोधित शर्तों के अधीन प्रदान करता है :—

- एक्सचेंज भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा अधिरोधित समस्त विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् ही व्यापार प्रारम्भ करेगा।
- एक्सचेंज ऐसी अन्य शर्तों का अनुपालन करेगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियत की जायें।

डॉ. के. एम. अब्राहम, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन III/4/69-जेड बी/11/असा.]

### NOTIFICATION

Mumbai, the 18th May, 2011

F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/07/15967.—The Securities and Exchange Board of India, having considered the application dated February 11, 2011 for renewal of recognition made under Section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 by U.P. Stock Exchange Limited having its registered office at Padam Towers, 14/113, Civil lines, Kanpur-208001 and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, renewal of recognition to the said Exchange under section 4 of the said Act for a period of one year commencing on the 3rd day of June, 2011 and ending on the 2nd day of June, 2012 in respect of contracts in securities subject to the conditions stated here in below or as prescribed or imposed hereafter :—

- The Exchange shall commence trading only after complying with all the regulatory requirements imposed by Securities and Exchange Board of India.
- The Exchange shall comply with such other conditions as may be stipulated by SEBI from time to time.

Dr. K. M. ABRAHAM, Whole Time Member

[ADVT. III/4/69-ZB/11/Exty.]